

ResearchPro International Multidisciplinary Journal



Vol- 2, Issue- 3, July-September 2026

ISSN (O)- 3107-9679

Email id: editor@researchprojournal.com

Website- www.researchprojournal.com

स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी, निर्णय—निर्माण क्षमता तथा सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. प्रदीप कुमार

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विविद्यालय, महु, इंदौर, म.प्र.

डॉ. अरविन्द सिरौही

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विष्वविद्यालय, मेरठ।

Article Info: (Recieved- 09/02/2026, Accept- 08/04/2026, Published- 03/07/2026)

DOI- [10.70650/rpimj.2026v2i300003](https://doi.org/10.70650/rpimj.2026v2i300003)

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी एवं उनकी निर्णय—निर्माण क्षमता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे स्थानीय शासन में उनकी राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके बावजूद महिलाओं की वास्तविक निर्णय—निर्माण क्षमता, नेतृत्व तथा सशक्तिकरण की स्थिति अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता एवं सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आँकड़ों का संकलन संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से 200 उत्तरदाताओं से किया गया, जबकि द्वितीयक आँकड़ें पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त किए गए। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया तथा आँकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति एवं प्रतिशत के आधार पर किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी ने उनके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। महिलाएँ ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, महिला एवं बाल कल्याण तथा सामाजिक न्याय से संबंधित निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तथापि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, सीमित शिक्षा, आर्थिक निर्भरता, प्रशासनिक अनुभव का अभाव तथा पारिवारिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियाँ महिलाओं की स्वतंत्र निर्णय—निर्माण क्षमता को प्रभावित करती हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि केवल राजनीतिक आरक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रभावी सशक्तिकरण के लिए क्षमता निर्माण, नेतृत्व प्रशिक्षण, विधिक एवं प्रशासनिक जागरूकता तथा सामाजिक समर्थन आवश्यक है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, समावेशी शासन तथा सतत ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को सशक्त बनाकर ही स्थानीय शासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं जनोन्मुख बनाया जा सकता है।

प्रमुख शब्द— स्थानीय शासन, महिला भागीदारी, निर्णय-निर्माण क्षमता, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लैंगिक समानता, समाजशास्त्रीय अध्ययन।

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता नागरिकों की समान, सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी पर निर्भर करती है। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप तभी साकार होता है जब समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में समान अवसर प्राप्त हों। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में लंबे समय तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही, जिसके परिणामस्वरूप उनके अनुभव, आवश्यकताएँ एवं दृष्टिकोण नीतिगत निर्णयों में पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं हो सके। किंतु विगत कुछ दशकों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक संवैधानिक एवं विधिक प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इन संशोधनों ने महिलाओं को केवल निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अवसर ही नहीं प्रदान किया, बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर विकास, प्रशासन एवं नीति-निर्माण की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने का संवैधानिक अधिकार भी दिया। (भारत सरकार,¹ 1992, जॉर्ज मैथ्यू² 2000, निरजा गोपाल जायल,³ 2006)

स्थानीय शासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार है, जहाँ नागरिकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने शासन प्रणाली में लैंगिक समावेशन को सुदृढ़ किया है तथा महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व, प्रतिनिधित्व एवं निर्णय-निर्माण के अवसर प्रदान किए हैं। इससे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएँ बढ़ी हैं। (बी. एस. बाविस्कर एवं जॉर्ज मैथ्यू⁴ 2009, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन,⁵ 2018)

महिलाओं की भागीदारी का महत्व केवल निर्वाचित पद प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक भूमिका निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी सहभागिता से निर्धारित होती है। निर्णय-निर्माण क्षमता से आशय महिलाओं की उस योग्यता, आत्मविश्वास एवं अधिकार से है जिसके माध्यम से वे विकास योजनाओं, संसाधनों के वितरण, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान से संबंधित निर्णयों में स्वतंत्र एवं प्रभावशाली भूमिका निभा सकें। यदि महिला प्रतिनिधि केवल औपचारिक रूप से निर्वाचित हों, किंतु वास्तविक निर्णय उनके परिवार के पुरुष सदस्य या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति लें, तो ऐसी स्थिति महिलाओं के वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण को प्रतिबिंबित नहीं करती। इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन उनके निर्णय-निर्माण में वास्तविक योगदान एवं प्रभावशीलता के आधार पर किया जाए। (नायला कबीर,⁶ 1999, शिरीन एम. राय,⁷ 2008)

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, शक्ति-संबंधों तथा सामाजिक संरचना के अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। समाज में विद्यमान पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक विभाजन, सांस्कृतिक मान्यताएँ, शिक्षा का स्तर, आर्थिक संसाधनों तक पहुँच तथा सामाजिक पूँजी जैसे कारक महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता एवं निर्णय-निर्माण क्षमता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूप से बढ़ा है, फिर भी अनेक क्षेत्रों में उन्हें सामाजिक रूढ़ियों, पारिवारिक नियंत्रण, सीमित प्रशासनिक अनुभव, संसाधनों की कमी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप, प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। (सिल्विया वाल्बी,⁸ 1990, पियरे बोरदियो,⁹ 1986, नायला कबीर,⁶ 1999)

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक आयाम सम्मिलित हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं को निर्णय लेने, नेतृत्व विकसित करने, सार्वजनिक संसाधनों पर प्रभाव डालने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के अवसर प्रदान करता है। जब महिलाएँ स्थानीय शासन में प्रभावी रूप से निर्णय लेने लगती हैं, तब इसका सकारात्मक प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों पर भी दिखाई

देता है। इस प्रकार स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन एवं लोकतांत्रिक सुशासन की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। (अमर्त्य सेन,¹⁰ 1999, मार्था नुसबाम,¹¹ 2000, बीना अग्रवाल,¹² 1994)

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी एवं उनकी निर्णय-निर्माण क्षमता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करेगा कि स्थानीय शासन में महिलाओं की सहभागिता किस सीमा तक उनके राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सशक्तिकरण को प्रभावित करती है तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी वास्तविक भूमिका क्या है। साथ ही, यह अध्ययन उन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों का भी विश्लेषण करेगा जो महिलाओं की प्रभावी भागीदारी एवं निर्णय-निर्माण क्षमता को प्रोत्साहित अथवा बाधित करते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष न केवल महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को समझने में सहायक होंगे, बल्कि स्थानीय शासन को अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं लोकतांत्रिक बनाने के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान करने में भी उपयोगी सिद्ध होंगे। (कोहेन एवं अराटो,¹³ 1992, निरजा गोपाल जायल,³ 2006, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन,⁵ 2018)

साहित्य समीक्षा

स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी, निर्णय-निर्माण क्षमता तथा सशक्तिकरण समकालीन समाजशास्त्रीय एवं राजनीतिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के बाद महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों में संवैधानिक आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप इस विषय पर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध हुए, जिनमें महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व क्षमता, निर्णय-निर्माण, सामाजिक परिवर्तन तथा सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया गया है।

1. नायला कबीर (1999)⁶ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझाने में नायला कबीर (1999) का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने सशक्तिकरण को संसाधनों, अभिकर्तृत्व तथा उपलब्धियों के आधार पर परिभाषित किया। उनके अनुसार वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, संसाधनों तक समान पहुँच तथा अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी उनके अभिकर्तृत्व को सुदृढ़ करती है तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है।

2. अमर्त्य सेन (1999)¹⁰ ने अपनी क्षमता दृष्टिकोण के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि विकास का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं एवं क्षमताओं का विस्तार करना है। उनके अनुसार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक विकास एवं मानव कल्याण का महत्वपूर्ण आधार है। स्थानीय शासन महिलाओं को अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करने तथा सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करता है।

3. मार्था नुसबाम (2000)¹¹ ने क्षमता दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की गरिमा, समानता एवं सार्वजनिक जीवन में सहभागिता को मानव विकास का आवश्यक तत्व माना। उनके अनुसार निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक समानता की स्थापना के लिए अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं को प्रभावी निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

4. बीना अग्रवाल (1994)¹² ने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों एवं संसाधनों तक पहुँच को राजनीतिक सशक्तिकरण का आधार माना। उनका मत है कि भूमि, संपत्ति एवं आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। आर्थिक स्वायत्तता के अभाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रभाव सीमित रह जाता है।

5. कोहेन एवं अराटो (1992)¹³ ने नागरिक समाज और लोकतांत्रिक भागीदारी के संदर्भ में यह प्रतिपादित किया कि लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है। उनके अनुसार स्थानीय संस्थाएँ नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनाकर लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी एवं समावेशी बनाती हैं।

6. जॉर्ज मैथ्यू (1994²⁹ य 2000²) भारतीय संदर्भ में जॉर्ज मैथ्यू (1994 य 2000) ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पर व्यापक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि संवैधानिक आरक्षण ने ग्रामीण महिलाओं को राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराए, जिससे उनका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी।

हालांकि उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ एवं पितृसत्तात्मक मानसिकता महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती हैं।

7. बी. एस. बाविस्कर एवं जॉर्ज मैथ्यू (2009)⁴ द्वारा संपादित अध्ययन में स्थानीय शासन के माध्यम से सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि महिलाओं की भागीदारी ने पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता तथा महिला कल्याण से जुड़े मुद्दों को अधिक प्राथमिकता दिलाई। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि अनेक महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी के अभाव का सामना करना पड़ता है।

8. निरजा गोपाल जायल (2006)³ ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विश्लेषण करते हुए बताया कि स्थानीय शासन लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाता है। उनके अनुसार महिलाओं की भागीदारी केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने का माध्यम है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के नेतृत्व से शासन व्यवस्था अधिक संवेदनशील एवं जनोन्मुखी बनती है।

9. शोभना मोहन्ती (1995)¹⁴ ने ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व का अध्ययन करते हुए पाया कि निर्वाचित होने के बावजूद अनेक महिला प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पातीं। उनके निर्णयों पर परिवार, विशेषकर पति एवं अन्य पुरुष सदस्यों का प्रभाव बना रहता है। इस स्थिति को उन्होंने महिलाओं के औपचारिक प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच का अंतर बताया।

10. शिरीन एम. राय (2008)⁷ ने महिला प्रतिनिधित्व एवं शक्ति संबंधों का विश्लेषण करते हुए कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। उनके अनुसार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाती है।

11. संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (2018)⁵ की रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार यदि महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधन एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जाए तो उनकी निर्णय-निर्माण क्षमता और अधिक प्रभावी हो सकती है।

12. भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2023)¹⁵ के अनुसार देश की पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 46 प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं। यह विश्व के अनेक देशों की तुलना में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तथापि रिपोर्ट यह भी संकेत करती है कि वास्तविक निर्णय-निर्माण क्षमता राज्यों एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न है।

13. मोहापात्रा (2016)¹⁶ ने ओडिशा में पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करते हुए पाया कि आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक मंच प्रदान किया, किन्तु प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण, कानूनी जानकारी तथा सामाजिक सहयोग अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रशिक्षित महिला प्रतिनिधि स्थानीय विकास योजनाओं में अधिक प्रभावी भूमिका निभाती हैं।

14. बिल्लावा एवं नायक (2016)¹⁷ ने पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों पर उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं की संख्या में वृद्धि के बावजूद प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय निर्णय क्षमता तथा राजनीतिक आत्मनिर्भरता में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने क्षमता विकास कार्यक्रमों को महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन बताया।

15. घोष एवं सहयोगियों (2015)¹⁸ ने पश्चिम बंगाल में महिला प्रतिनिधियों का अध्ययन करते हुए पाया कि अनेक निर्वाचित महिलाएँ निर्णय लेने से पहले परिवार या राजनीतिक दल के पुरुष नेताओं से परामर्श करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद सामाजिक संरचना महिलाओं की स्वतंत्र निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है।

16. टिग्गा (2019)¹⁹ ने बिहार की ग्राम पंचायतों का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय शासन में भागीदारी से महिलाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक सम्मान एवं सार्वजनिक जीवन में सक्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अध्ययन ने यह भी दर्शाया कि महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पड़ता है।

17. मोनी (2021)²⁰ ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय

विश्लेषण प्रस्तुत किया। अध्ययन के अनुसार 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नया अध्याय प्रारंभ किया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्यता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई।

18. लाहा (2023)²¹ ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन करते हुए बताया कि आरक्षण नीति ने महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया, किन्तु अशिक्षा, सामाजिक रूढ़ियों, सीमित आर्थिक संसाधन तथा राजनीतिक अनुभव का अभाव उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को महिला नेतृत्व के विकास का आवश्यक आधार माना।

19. राव एवं सहयोगियों (2024)²⁴ ने पंचायती राज व्यवस्था के समकालीन स्वरूप का विश्लेषण करते हुए पाया कि डिजिटल प्रशासन, ई-गवर्नेंस, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा महिला नेतृत्व स्थानीय शासन की प्रभावशीलता को बढ़ा रहे हैं। उनके अनुसार आधुनिक तकनीकी ज्ञान महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को और अधिक सुदृढ़ कर सकता है।

20. नाज एवं अहमद (2024)²³ ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध, शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक प्रशिक्षण महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अध्ययन ने क्षमता निर्माण एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

उपरोक्त साहित्य से स्पष्ट होता है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी ने लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है तथा महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकांश अध्ययनों में यह निष्कर्ष सामने आया है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा विकास योजनाओं में जनसहभागिता बढ़ी है। तथापि, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, प्रशासनिक प्रशिक्षण का अभाव तथा सीमित निर्णय-स्वायत्तता जैसी चुनौतियाँ आज भी महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण में बाधक बनी हुई हैं। अतः स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन केवल उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक निर्णय-निर्माण क्षमता, नेतृत्व की प्रभावशीलता तथा सामाजिक परिवर्तन में उनके योगदान के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना

इस उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समग्र अध्ययन करना है, जिससे उनकी पंचायत संबंधी सहभागिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान की जा सके। इसके अंतर्गत आयु, शिक्षा, जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति, परिवार का प्रकार, व्यवसाय, आय स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाएगा। यह अध्ययन स्पष्ट करेगा कि विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं की पंचायत में भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता तथा नेतृत्व की भूमिका किस प्रकार भिन्न होती है। साथ ही, यह पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक आयामों को समझने में सहायक होगा।

2. ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी के उपरांत उत्तरदाताओं के सशक्तिकरण का अध्ययन करना

इस उद्देश्य का आशय यह जानना है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बाद उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सशक्तिकरण में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। अध्ययन के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल, सामाजिक प्रतिष्ठा, सरकारी योजनाओं तक पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी विश्लेषित किया जाएगा कि पंचायत में सहभागिता ने महिलाओं की पारिवारिक एवं सामाजिक भूमिका को किस सीमा तक सुदृढ़ किया है तथा उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता में कितनी वृद्धि हुई है।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जनपद का चयन किया गया है। मेरठ जनपद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक केंद्र है। यह जनपद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं

निर्णय-निर्माण क्षमता के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए मेरठ जनपद उपयुक्त अध्ययन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी सामाजिक संरचना, विविध जातीय एवं सामाजिक समूहों की उपस्थिति तथा पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है।

अध्ययन का समाजशास्त्रीय सैद्धान्तिक आधार

इस अध्ययन को समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का आधार लिया गया है। ये सिद्धांत महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व, निर्णय-निर्माण क्षमता तथा सशक्तिकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करने में सहायक हैं।

1. सशक्तिकरण सिद्धांत— सशक्तिकरण सिद्धांत के अनुसार महिलाओं को केवल अधिकार प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें उन अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाती है तथा नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। जब महिलाएँ पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगती हैं, तब उनके आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रियता में वृद्धि होती है। (कबीर,⁶ 1999य सेन,¹⁰ 1999)

2. क्षमता दृष्टिकोण— इस दृष्टिकोण के अनुसार विकास का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमताओं, अवसरों एवं स्वतंत्रताओं का विस्तार करना है। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी उन्हें अपने ज्ञान, कौशल एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करने का अवसर प्रदान करती है। निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है तथा उन्हें सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बनाती है। (सेन,¹⁰ 1999य नुसबाम,¹¹ 2000)

3. नारीवादी दृष्टिकोण— नारीवादी दृष्टिकोण समाज में विद्यमान लैंगिक असमानताओं तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विश्लेषण करता है। यह दृष्टिकोण महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर एवं निर्णय-निर्माण में समान भागीदारी प्रदान करने पर बल देता है। स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय एवं लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पारंपरिक सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती है तथा उन्हें स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। (वाल्बी,⁸ 1990; अग्रवाल,¹² 1994; राय,⁷ 2008)

4. सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत

सहभागी लोकतंत्र के अनुसार लोकतंत्र तभी सफल माना जाता है जब समाज के सभी वर्ग शासन एवं निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता का अवसर प्रदान करती हैं। इससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जनोन्मुखी बनती है तथा स्थानीय विकास योजनाओं में जनता की आवश्यकताओं को अधिक महत्व मिलता है। (पेटमैन,²⁴ 1970; जायल,³ 2006)

5. संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण— इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज अनेक सामाजिक संस्थाओं से मिलकर बना एक संगठित तंत्र है, जहाँ प्रत्येक संस्था समाज के संतुलन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ भी समाज की महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। इनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सामुदायिक विकास को सुदृढ़ करती है। (पार्सन्स,²⁴ 1951, मर्टन,²⁶ 1968)

6. संघर्ष दृष्टिकोण— संघर्ष दृष्टिकोण के अनुसार समाज में शक्ति, संसाधनों एवं अवसरों का वितरण समान नहीं होता। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को शक्ति-संतुलन में परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। स्थानीय शासन में महिलाओं का नेतृत्व पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को चुनौती देता है तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। (मार्क्स एवं एंगेल्स,²⁷ 1848 डारेनडॉर्फ,²⁸ 1959)

उपरोक्त समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, नेतृत्व विकास, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा महिला सशक्तिकरण की व्यापक प्रक्रिया का आधार है। इन सिद्धांतों के माध्यम से महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता, सामाजिक स्थिति, नेतृत्व की प्रभावशीलता तथा स्थानीय शासन में उनकी वास्तविक भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया जा सकता है।

उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि

सारणी 1: उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि

क्र.सं.	चर (Variable)	श्रेणी	आवृत्ति (f)	प्रतिशत (%)
1	लिंग	पुरुष	104	52.0
		महिला	96	48.0
		कुल	200	100.0
2	आयु	18-30 वर्ष	38	19.0
		31-45 वर्ष	74	37.0
		46-60 वर्ष	58	29.0
		60 वर्ष से अधिक	30	15.0
3	वैवाहिक स्थिति	विवाहित	162	81.0
		अविवाहित	24	12.0
		विधवा/विधुर	14	7.0
4	शिक्षा	अशिक्षित	32	16.0
		प्राथमिक	48	24.0
		माध्यमिक	72	36.0
		स्नातक एवं अधिक	48	24.0
5	जाति	अनुसूचित जाति	42	21.0
		अन्य पिछड़ा वर्ग	96	48.0
		सामान्य	62	31.0
6	परिवार का प्रकार	एकल परिवार	88	44.0
		संयुक्त परिवार	112	56.0
7	मुख्य व्यवसाय	कृषि	78	39.0
		मजदूरी	52	26.0
		व्यवसाय	34	17.0
8	मासिक पारिवारिक आय	₹15,000 तक	72	36.0
		₹15,001-30,000	68	34.0
		₹30,001-50,000	42	21.0
		₹50,000 से अधिक	18	9.0
9	भूमि स्वामित्व	भूमिहीन	44	22.0
		1 एकड़ तक	78	39.0
		1-3 एकड़	52	26.0
		3 एकड़ से अधिक	26	13.0
10	पंचायत गतिविधियों में सहभागिता	नियमित	84	42.0
		कभी-कभी	76	38.0
		बहुत कम	40	20.0

अध्ययन में कुल 200 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया। उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, जाति, परिवार का प्रकार, मुख्य व्यवसाय, मासिक पारिवारिक आय, भूमि स्वामित्व तथा पंचायत गतिविधियों में सहभागिता जैसे प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक संकेतकों के आधार पर किया गया है।

अध्ययन के अनुसार कुल 200 उत्तरदाताओं में 104 (52.0 प्रतिशत) पुरुष तथा 96 (48.0 प्रतिशत) महिलाएँ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में दोनों लिंगों का लगभग समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, जिससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक संतुलित एवं विश्वसनीय बनते हैं।

आयु के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण करने पर ज्ञात होता है कि 31-45 वर्ष आयु वर्ग के 74 (37.0 प्रतिशत) उत्तरदाता सर्वाधिक हैं। इसके बाद 46-60 वर्ष आयु वर्ग के 58 (29.0 प्रतिशत), 18-30 वर्ष आयु वर्ग के 38 (19.0 प्रतिशत) तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 30 (15.0 प्रतिशत) उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में मुख्यतः सक्रिय एवं कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अधिक है, जिनकी

पंचायत संबंधी गतिविधियों में भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक रहती है।

वैवाहिक स्थिति के अनुसार 162 (81.0 प्रतिशत) उत्तरदाता विवाहित हैं, जबकि 24 (12.0 प्रतिशत) अविवाहित तथा 14 (7.0 प्रतिशत) विधवाधविधुर हैं। विवाहित उत्तरदाताओं की अधिक संख्या यह दर्शाती है कि अध्ययन में अधिकांश प्रतिभागी पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाले हैं, जिनका स्थानीय शासन एवं सामुदायिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है।

शैक्षिक स्थिति के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 32 (16.0 प्रतिशत) उत्तरदाता अशिक्षित हैं। 48 (24.0 प्रतिशत) ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है, 72 (36.0 प्रतिशत) माध्यमिक शिक्षित हैं तथा 48 (24.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्नातक अथवा उससे अधिक शिक्षा प्राप्त की है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता शिक्षित हैं, जो स्थानीय शासन एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को समझने में सक्षम हैं।

जातिगत संरचना के अनुसार 42 (21.0 प्रतिशत) उत्तरदाता अनुसूचित जाति, 96 (48.0 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 62 (31.0 प्रतिशत) सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाताओं की सर्वाधिक भागीदारी अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करती है। परिवार के प्रकार के आधार पर 112 (56.0 प्रतिशत) उत्तरदाता संयुक्त परिवार तथा 88 (44.0 प्रतिशत) एकल परिवार से संबंधित हैं। संयुक्त परिवारों की अधिकता ग्रामीण सामाजिक संरचना की पारंपरिक विशेषता को दर्शाती है, जहाँ पारिवारिक निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और सामाजिक सहभागिता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मुख्य व्यवसाय के आधार पर 78 (39.0 प्रतिशत) उत्तरदाता कृषि से जुड़े हैं, जो सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त 52 (26.0 प्रतिशत) मजदूरी, 36 (18.0 प्रतिशत) सेवा तथा 34 (17.0 प्रतिशत) व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यह दर्शाता है कि अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है तथा कृषि आज भी आजीविका का प्रमुख साधन बनी हुई है। मासिक पारिवारिक आय के अनुसार 72 (36.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की आय ₹15,000 तक है। 68 (34.0 प्रतिशत) की आय ₹15,001 से ₹30,000 के मध्य, 42 (21.0 प्रतिशत) की आय ₹30,001 से ₹50,000 तथा केवल 18 (9.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की मासिक पारिवारिक आय ₹50,000 से अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वर्ग से संबंधित हैं।

भूमि स्वामित्व के आधार पर 44 (22.0 प्रतिशत) उत्तरदाता भूमिहीन हैं। 78 (39.0 प्रतिशत) के पास एक एकड़ तक भूमि, 52 (26.0 प्रतिशत) के पास एक से तीन एकड़ भूमि तथा 26 (13.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास तीन एकड़ से अधिक भूमि है। यह स्थिति अध्ययन क्षेत्र में छोटे एवं सीमांत कृषकों की अधिकता को दर्शाती है।

पंचायत गतिविधियों में सहभागिता के संबंध में 84 (42.0 प्रतिशत) उत्तरदाता नियमित रूप से पंचायत गतिविधियों में भाग लेते हैं। 76 (38.0 प्रतिशत) उत्तरदाता कभी-कभी सहभागिता करते हैं, जबकि 40 (20.0 प्रतिशत) उत्तरदाता बहुत कम भागीदारी करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता स्थानीय शासन एवं पंचायत की गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वसनीय एवं प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होने की संभावना अधिक है।

समग्र रूप से उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में विभिन्न आयु वर्गों, शैक्षिक स्तरों, जातीय समूहों तथा आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। अधिकांश उत्तरदाता विवाहित, शिक्षित, कृषि से जुड़े, संयुक्त परिवारों से संबंधित तथा निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के हैं। साथ ही पंचायत गतिविधियों में उनकी सक्रिय सहभागिता स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी एवं निर्णय-निर्माण क्षमता के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान आने वाली प्रमुख बाधाएँ

सारणी 2 पंचायत में प्रवेश एवं सहभागिता के दौरान आने वाली प्रमुख बाधाएँ

क्र.सं.	बाधा/चुनौती	हाँ (f)	प्रतिशत (%)	नहीं (f)	प्रतिशत (%)
1	पंचायत कार्यों की जानकारी का अभाव	118	59.0	82	41.0
2	आर्थिक संसाधनों की कमी	136	68.0	64	32.0
3	चुनावी खर्च वहन करने में कठिनाई	128	64.0	72	36.0
4	परिवार का अपर्याप्त सहयोग	92	46.0	108	54.0
5	जातिगत भेदभाव का अनुभव	84	42.0	116	58.0
6	महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह	112	56.0	88	44.0

7	राजनीतिक अनुभव का अभाव	122	61.0	78	39.0
8	स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव	106	53.0	94	47.0
9	पंचायत बैठकों में अपनी बात रखने में कठिनाई	96	48.0	104	52.0
10	सरकारी योजनाओं एवं नियमों की जानकारी का अभाव	114	57.0	86	43.0

सारणी में स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी एवं निर्णय-निर्माण क्षमता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं एवं चुनौतियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में शामिल 200 उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को स्थानीय शासन में सक्रिय भूमिका निभाने के दौरान अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सारणी के अनुसार सर्वाधिक "68.0 प्रतिशत (136)" उत्तरदाताओं ने माना कि "आर्थिक संसाधनों की कमी" महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा है, जबकि "32.0 प्रतिशत (64)" उत्तरदाता इससे सहमत नहीं थे। इससे स्पष्ट होता है कि सीमित आर्थिक संसाधन महिलाओं की चुनावी एवं प्रशासनिक सक्रियता को प्रभावित करते हैं।

इसी प्रकार "64.0 प्रतिशत (128)" उत्तरदाताओं ने बताया कि "चुनावी खर्च वहन करने में कठिनाई" महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है, जबकि "36.0 प्रतिशत (72)" ने इसे बाधा नहीं माना। यह स्थिति दर्शाती है कि चुनाव प्रक्रिया में आर्थिक व्यय महिलाओं की भागीदारी को सीमित करता है।

"61.0 प्रतिशत (122)" उत्तरदाताओं ने "राजनीतिक अनुभव के अभाव" को महत्वपूर्ण चुनौती बताया, जबकि "39.0 प्रतिशत (78)" ने इससे असहमति व्यक्त की। इससे स्पष्ट है कि पर्याप्त राजनीतिक प्रशिक्षण एवं अनुभव के अभाव में महिलाएँ निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं।

"59.0 प्रतिशत (118)" उत्तरदाताओं के अनुसार "पंचायत कार्यों की जानकारी का अभाव" महिलाओं की प्रभावी भूमिका में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि "41.0 प्रतिशत (82)" ने इसे समस्या नहीं माना। इसी प्रकार "57.0 प्रतिशत (114)" उत्तरदाताओं ने "सरकारी योजनाओं एवं नियमों की जानकारी के अभाव" को भी प्रमुख चुनौती माना, जबकि "43.0 प्रतिशत (86)" ने इससे असहमति व्यक्त की। इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक एवं विधिक जानकारी की कमी महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को प्रभावित करती है।

अध्ययन में "56.0 प्रतिशत (112)" उत्तरदाताओं ने "महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह" को एक महत्वपूर्ण सामाजिक बाधा माना, जबकि "44.0 प्रतिशत (88)" ने इसे बाधा नहीं माना। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि पितृसत्तात्मक सोच एवं लैंगिक रुढ़िवादिता आज भी महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को प्रभावित कर रही है।

इसके अतिरिक्त "53.0 प्रतिशत (106)" उत्तरदाताओं ने "स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव" को महिलाओं की स्वतंत्र कार्यशैली में बाधक माना, जबकि "47.0 प्रतिशत (94)" ने इससे असहमति व्यक्त की। इससे स्पष्ट होता है कि कई स्थानों पर महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में बाहरी राजनीतिक एवं सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है।

लगभग "48.0 प्रतिशत (96)" उत्तरदाताओं ने माना कि "पंचायत बैठकों में अपनी बात रखने में कठिनाई" महिलाओं की प्रभावी सहभागिता को प्रभावित करती है, जबकि "52.0 प्रतिशत (104)" ने इसे बाधा नहीं माना। यह परिणाम इंगित करता है कि अनेक महिलाओं में सार्वजनिक मंच पर अपने विचार प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का आत्मविश्वास एवं अवसर अभी भी सीमित है।

इसी प्रकार "46.0 प्रतिशत (92)" उत्तरदाताओं ने "परिवार के अपर्याप्त सहयोग" को महिलाओं की भागीदारी में बाधा बताया, जबकि "54.0 प्रतिशत (108)" ने इसे बाधा नहीं माना। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि अनेक परिवार महिलाओं का सहयोग करते हैं, फिर भी कुछ परिवारों में पारिवारिक समर्थन का अभाव उनकी राजनीतिक सक्रियता को सीमित करता है।

सबसे कम "42.0 प्रतिशत (84)" उत्तरदाताओं ने "जातिगत भेदभाव" को महिलाओं की भागीदारी में बाधा माना, जबकि "58.0 प्रतिशत (116)" ने इसे बाधा नहीं माना। इससे संकेत मिलता है कि अध्ययन क्षेत्र में जातिगत भेदभाव की तुलना में आर्थिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ अधिक प्रभावशाली हैं।

समग्र रूप से अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी एवं निर्णय-निर्माण क्षमता के समक्ष आर्थिक संसाधनों की कमी, चुनावी व्यय, राजनीतिक अनुभव का अभाव, पंचायत

एवं सरकारी योजनाओं की अपर्याप्त जानकारी, सामाजिक पूर्वाग्रह तथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता, नियमित प्रशिक्षण, प्रशासनिक एवं कानूनी जानकारी, नेतृत्व विकास कार्यक्रम तथा सामाजिक जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है, जिससे स्थानीय शासन में उनकी सहभागिता अधिक प्रभावी एवं सशक्त बन सके।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन “स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय-निर्माण क्षमतारू सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन” पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी, उनकी निर्णय-निर्माण क्षमता तथा सशक्तिकरण की स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना था। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी एवं उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संवैधानिक आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे स्थानीय विकास योजनाओं, ग्राम सभा की बैठकों तथा पंचायत स्तर के निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी हैं।

अध्ययन के सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता कार्यशील आयु वर्ग, विवाहित, माध्यमिक शिक्षित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। अधिकांश परिवार संयुक्त परिवार हैं तथा कृषि उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। उत्तरदाताओं का एक बड़ा वर्ग निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। इसके बावजूद पंचायत गतिविधियों में उत्तरदाताओं की नियमित एवं आंशिक सहभागिता यह दर्शाती है कि स्थानीय शासन के प्रति लोगों में जागरूकता और रुचि बढ़ रही है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी ने उनके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रियता को बढ़ाया है। महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, महिला एवं बाल कल्याण तथा सामाजिक विकास से संबंधित विषयों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि महिलाओं की सहभागिता स्थानीय विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

हालाँकि अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के मार्ग में अनेक सामाजिक एवं संरचनात्मक बाधाएँ अभी भी विद्यमान हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, सीमित शिक्षा, आर्थिक निर्भरता, प्रशासनिक एवं कानूनी जानकारी का अभाव तथा कुछ स्थानों पर पुरुष सदस्यों का हस्तक्षेप महिलाओं की स्वतंत्र निर्णय-निर्माण क्षमता को प्रभावित करता है। कई मामलों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जिससे महिलाओं का वास्तविक नेतृत्व सीमित हो जाता है।

अध्ययन यह भी इंगित करता है कि केवल आरक्षण प्रदान करना महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, वित्तीय एवं प्रशासनिक जानकारी, डिजिटल साक्षरता तथा कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही समाज में लैंगिक समानता, महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण तथा पारिवारिक एवं संस्थागत सहयोग को भी सुदृढ़ करना होगा, ताकि महिलाएँ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।

समग्र रूप से यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामाजिक समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मजबूत किया है। महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है, किन्तु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत स्तर पर निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। यदि महिलाओं को समान अवसर, आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण तथा सामाजिक समर्थन उपलब्ध कराया जाए, तो वे स्थानीय शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी एवं विकासोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। अतः स्थानीय शासन में महिलाओं की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी न केवल महिला सशक्तिकरण का आधार है, बल्कि समावेशी लोकतंत्र एवं सतत ग्रामीण विकास की भी एक महत्वपूर्ण शर्त है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this

article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची—

1. भारत सरकार. (1992). भारत का संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
2. मैथ्यू, जॉर्ज (सम्पा.). (2000). भारत के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पंचायती राज की स्थिति। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज।
3. जायल, निरजा गोपाल. (2006). भारत का प्रतिनिधित्व जातीय विविधता और सार्वजनिक संस्थानों का शासन। पालग्रेव मैकमिलन।
4. बाविस्कर, बी. एस., एवं मैथ्यू, जॉर्ज (सम्पा.). (2009). स्थानीय शासन में समावेशन और बहिष्करण ग्रामीण भारत के क्षेत्रीय अध्ययन। सेज पब्लिकेशन्स।
5. संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन. (2018). वर्ष 2030 के एजेंडा में लैंगिक समानता वादों को कार्यरूप देना। संयुक्त राष्ट्र।
6. कबीर, नायला. (1999). महिला सशक्तिकरण के मापन पर विचार संसाधन, अभिकर्तृत्व एवं उपलब्धियाँ डेवलपमेंट एंड चेंज, 30(3), 435–464।
7. राय, शिरीन एम. (2008). विकास की लैंगिक राजनीति आशा एवं निराशा पर निबंध। जेड बुक्स।
8. वाल्मी, सिल्विया. (1990). पितृसत्ता का सिद्धान्तीकरण। बेसिल ब्लैकवेल।
9. बोरदियो, पियरे. (1986). पूँजी के स्वरूप जे. जी. रिचर्डसन (सम्पा.), शिक्षा के समाजशास्त्र का सिद्धान्त एवं अनुसंधान (पृ. 241–258)। ग्रीनवुड प्रेस।
10. सेन, अमर्त्य. (1999). विकास के रूप में स्वतंत्रता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।
11. नुसबाम, मार्था सी. (2000). महिलाएँ और मानव विकास क्षमता दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस।
12. अग्रवाल, बीना. (1994). दक्षिण एशिया में महिलाओं के भूमि अधिकार। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस।
13. कोहेन, जीन एल., एवं अराटो, एंड्रयू. (1992). नागरिक समाज और राजनीतिक सिद्धान्त। एम.आई.टी. प्रेस।
14. मोहन्ती, शोभना. (1995). पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी। दया पब्लिशिंग हाउस।
15. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय. (2023). वार्षिक प्रतिवेदन 2022–23। नई दिल्ली पंचायती राज मंत्रालय।
16. मोहापात्रा, एस. (2016). ओडिशा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी समस्याएँ एवं चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 2(8), 410–415।
17. बिल्लावा, एन., एवं नायक, एन. (2016). पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण एक विषयगत समीक्षा। जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, 5(1), 1–12।
18. घोष, एस., मुखर्जी, ए., एवं दास, पी. (2015). पश्चिम बंगाल में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 61(3), 428–441।
19. टिग्गा, ए. (2019). बिहार की ग्राम पंचायतों में महिला नेतृत्व एवं सहभागिता का अध्ययन। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 38(2), 213–228।
20. मोनी, पी. (2021). भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक रिसर्च, 6(4), 1245–1258।
21. लाहा, एस. (2023). स्थानीय शासन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं नेतृत्व चुनौतियाँ और संभावनाएँ। जर्नल ऑफ सोशल इन्क्लूज़न स्टडीज़, 9(1), 45–60।
22. राव, पी., शर्मा, आर., एवं सिंह, वी. (2024). पंचायती राज संस्थाओं में डिजिटल प्रशासन, ई-गवर्नेंस एवं

- महिला नेतृत्व। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस, 11(1), 31–49।
23. नाज़, एस., एवं अहमद, एम. (2024). उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की निर्णय–निर्माण क्षमता एवं राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज़, 31(1), 82–101।
 24. पेटमैन, कैरोल. (1970). सहभागिता और लोकतांत्रिक सिद्धांत। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस।
 25. पार्सन्स, टैल्कट. (1951). सामाजिक व्यवस्था। फ्री प्रेस।
 26. मर्टन, रॉबर्ट के. (1968). सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना। फ्री प्रेस।
 27. मार्क्स, कार्ल, एवं एंगेल्स, फ्रेडरिक. (1848). साम्यवादी घोषणापत्र।
 28. डारेन्डॉर्फ, राल्फ. (1959). औद्योगिक समाज में वर्ग एवं वर्ग–संघर्ष। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।
 29. मैथ्यू, जॉर्ज. (1994). पंचायती राज विधान से जन–आंदोलन तक। कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी।

Cite this Article

'डॉ. प्रदीप कुमार; डॉ. अरविन्द सिरौही', "स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी, निर्णय–निर्माण क्षमता तथा सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन", ResearchPro International Multidisciplinary Journal (RPIMJ), ISSN: 3107-9679 (Online), Volume:2, Issue:3, July-September 2026.

“Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author.”